



बांधों के लिए आपात कार्य योजना लागू करने के बारे में कार्यशाला

Posted On: 31 AUG 2017 3:54PM by PIB Delhi

देश में बांधों की सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आपात कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग के साथ मिलकर साझेदारों की एक कार्यशाला का आयोजन किया। साझेदारों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने तमिलनाडु में कृष्णागिरी बांध स्थल पर आयोजित इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसमें राहत और बचाव कार्यों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय मौसम विभाग, राज्य स्वास्थ्य, दमकल, पुलिस, राजस्व और सड़क विभाग तथा रेलवे के प्रतिनिधि शामिल थे।

केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य श्री एम.के. माथुर ने कार्यशाला की अध्यक्षता की और प्रत्येक बांध के लिए ईएपी तैयार करने और प्रभावी राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने में सभी एजेंसियों की भागीदारी तय करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बांध आपदाओं की संक्षिप्त पृष्ठभूमि तथा साथ ही एक मजबूत और सुरक्षित रखने योग्य ईएपी दस्तावेज तैयार करने के बारे में चर्चा की गई।

देश में 5254 बड़े बांध काम कर रहे हैं और 447 बड़े बांध निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार बड़े बांधों के मामले में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। इन बड़े बांधों (209) में से करीब 4 प्रतिशत 100 वर्ष पुराने हैं और करीब 17 प्रतिशत (876) बांध 50 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। बांधों की स्थिति और सुरक्षा के लिए निर्धारित वर्तमान मानकों को पूरा करने में अधिकांश बांध खरे नहीं उतर रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), नदी विकास और गंगा संरक्षण निरन्तर बांध सुरक्षा पहलों की कार्यान्वयन एजेंसियों को संस्थागत स्तर पर मजबूत करने के साथ-साथ सात राज्यों में करीब 198 बड़ी बांध परियोजनाओं के पुनर्वास को सरल बना रही है।

हालांकि हमारे बांध काफी सुरक्षित हैं, लेकिन यदि कभी बांध क्षतिग्रस्त हो जाए तो संपत्ति, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है और कभी-कभार लोग भी हताहत हो सकते हैं। डीआरआईपी का महत्वपूर्ण कार्य सभी डीआरआईपी बांधों के लिए आपात कार्य योजना तैयार करना है।

वीके/केपी/डीएस-3590

(Release ID: 1501350) Visitor Counter : 11

